

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 22.08.08

:: आदेशः

क्रमांक एफ 44-109/20-2/2007:: राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाये अनुसार संभागीय संयुक्त संचालकों(लोक शिक्षण) को अधिकारों का प्रत्यायोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/0
(एम.के.दाण्डे)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021

दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651

ई-मेल dpinmp@sancharmet.in

क्रमांक/स्था-1/राज/ई/44/06/1136

भोपाल, दिनांक 16.9.08

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
 3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल।
 4. ~~समस्त संभागीय संयुक्त संचालक~~ लोक शिक्षण म.प्र.।
 5. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
 6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
 7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र.।
 8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

S. Moghe
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

संभागीय संयुक्त संचालकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

स.क.	संयुक्त संचालक को दिये जाने वाले अधिकारी	वर्तमान में किसके पास हैं	देने का कारण
1.	जिला शिक्षा अधिकारी का सेवा संधारण, सेवा पुस्तिका, अवकाश, वेतनवृद्धि, यात्रा-भत्ता स्वीकृत करना, जी.पी.एफ	संचालनालय	विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिए
2.	जिला शिक्षा अधिकारी की सी.आर. पर प्रथम मतांकन	जिला पंचायत	विभागीय कार्यों के कसावट लाने के लिए
3.	प्राचार्य उ.मा.वि./ हाईस्कूल के सी. आर. पर प्रथम मतांकन	संचालनालय	सी.आर. पर मतांकन कर प्राचार्यों का वास्तविक मूल्यांकन कर गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
4.	हाईस्कूल प्राचार्य को कमोन्नत वेतनमान	संचालनालय	संभाग स्तर पर ही प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।
5.	बी.ई.ओ. का कमोन्नत वेतनमान	संचालनालय	संभाग स्तर पर ही प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।
6.	व्याख्याता का वरिष्ठ वेतनमान/ कमोन्नति की स्वीकृति	संचालनालय	व्याख्याताओं को सुगमता से वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त हो सकेगी।
7.	तृतीय श्रेणी कर्मचारियों (शिक्षक, लिपिक संवर्ग पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार)	कलेक्टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत	संयुक्त संचालक को उक्त अधिकार होने से मानीटरिंग करने में सुगमता होगी।
8.	संभाग अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण बनाई गई नीतियों के तहत करना	संचालनालय	प्रदेश भर के कर्मचारियों को भोपाल नहीं आना-जाना पड़ेगा एवं संचालनालय स्तर पर अनावश्यक बोझ कम होगा।
9.	09/11 की परीक्षा एवं संभाग स्तर से पत्रों का विवरण के प्रश्न पत्रों के निर्माण	मंडल एवं संचालनालय	प्रश्न पत्रों के वितरण में सुगमता होगी
10.	राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति, संस्कृत एवं अन्य छात्रवृत्ति	संचालनालय	त्वरित निराकरण हो सकेगा

हस्ता/0
(एम.के.दाण्डे)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग